

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक



47

वाद सं०- M 18 / 20.....

धारा-107 द०प्र०सं०

कारखण्ड सरकार

बनाम अनिल सिंह मुण्डा वर्मा

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एम..... 18 / 20.19..... में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>बमाड़</u> के अप्राथमिकी सं०- <u>05/2019</u> दिनांक- <u>19/03/19</u> के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि दिनांक- <u>06/05/19</u> को लोकसभा चुनाव के अवसर पर शांति भंग होने की संभावना है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>01/04/19</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	

आदेश की क्रम सं० एवं  
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर  
कार्रवाई एवं  
तारीख सहित

01 25-05-19

अभिलेखा उपस्थापित । दिनांक  
पत्र क्रमांक 02 उपस्थित क्रमांक 01  
अधिकता घवरी । लोक सभा चुनाव  
2019 शान्ति रक्षी रूप से सम्पन्न हो  
गया है। अतः वाद के अभिलेखा  
की कार्रवाई बन्द की जाती है।

  
25/05/19

03

10.